Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर
www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक.....134........./2017 दिनांक 22/09/2017

विषयः- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों को बकाया राशि जमा करने में विलंबित अवधि ब्याज में छूट देने बाबत्।

--- 000 ---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के संपदा अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि स्ववित्तीय योजनांतर्गत आबंटियों द्वारा भवनों के पंजीयन राशि जमा करने के बाद शेष राशि समय में जमा नही कर पाने के कारण विलंबित अवधि का ब्याज भारित किया जाता है, जिससे शेष बकाया राशि में बढ़ोत्तरी के कारण राशि जमा करने में उन्हें कठिनाई हो रही है। आबंटन के पश्चात् आबंटी द्वारा अवशेष राशि जमा करने में भारित होने वाले विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने पर मण्डल की अवरूद्ध राशि शीघ्र प्राप्त होगी।

मण्डल के स्ववित्तीय योजनांतर्गत आबंटित भवनों के बकायादारों द्वारा संपूर्ण बकाया राशि जमा करने पर विलंबित अवधि के ब्याज राशि में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति मण्डल के 54वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.08.2017 के निर्णय/ आदेश की प्रत्याशा में दिनांक 14.08.2017 से दिनांक 30.11.2017 तक अंतरिम आदेश कमांक 129/2017 दिनांक 08.09.2017 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 54वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.08.2017 की पद संख्या कमाक 38 के पारित संकल्प कमांक 1588/38/54/08/2017 द्वारा संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर दीर्घ-विचारोपरांत सर्वसम्मति से, स्ववित्तीय योजनांतर्गत आबंटित भवनों के बकायादारों द्वारा दिनांक 30.11.2017 तक संपूर्ण बकाया राशि जमा करने पर श्री दीपक बत्रा, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा दिये गये प्रजेन्टेशन में प्रस्तावित अनुसार विलंबित अवधि की ब्याज राशि में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लेते हुए, आगामी आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

आदेशानुसार

20.09.17

मुख्य संपदा अधिकारी

पृ.क्र.2523 /आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-387/17 नया रायपुर, दिनांक 22/09 /2017

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. निज सचिव आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त, कमांक 01(J)/ 02(V)/ 03(P) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
9. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,वृत्त-रायपुर/वृत्त-नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
10. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर रायपुर।
12. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.संभाग-1,2,रायपुर/संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग 01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
13. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा /बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
15. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

20.09.17

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर